न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 30/2016 (2016/00046)

वादीगण

1. विजयलक्ष्मी पत्नी रामगोपाल जाति ब्राह्मण उम्र 55 वर्ष निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नरपतसिंह पुत्र हरनाथसिंह
2. बहादूरसिंह पुत्र हरनाथसिंह
3. कमल कंवर पत्नि हरनाथसिंह
4. संतोष कंवर पत्नि बाबुसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सरगोठ तहसील कुचामनसिटी।
5. मांगीलाल पुत्र मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सरगोठ तहसील कुचामन
6. ईश्वरराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी सरगोठ तहसील कुचामन
7. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
8. श्रीमान पटवारी पटवार मण्डल ग्राम सरगोठ जिला नागौर राजस्थान

वाद वास्ते घोषणा करने, भूविभाजन, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188,207,209 राज. का. अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री मो0 हनीफ अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

दिनांकः 30.04.2018

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम मौजा सरगोठ पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सम्वत 2069–2072 के खाता संख्या पुरानी 86 नया 107 के नवीन खसरा नं0 212 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 213 रकबा 4.27 है0 कुल क्षेत्रफल 4.28 सहित तफ्सील रूपये 31.35 निर्धारित है। नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भू राजस्व अधिकार [illegible] के गैर मुमकिन अकुआ खसरा नम्बर 212 रकबा 0.01 है0 गैरमुमकिन कु[illegible] एवं प्रतिवादी सं0 1 से 4 संयुक्त रूप से खातेदारी हक हिस्से में दर्ज है।

पूर्ववर्ती खातेदारी अधिकारी [illegible]यारसिंह ने ईश्वर[illegible] रकबा 0.64 है0 भूमि का बेचान कर आपसी सहमति से भू [illegible]जन कर वास्तविक [illegible]व्यवहारिक रूप से काबिज करवा दिया था जिसका इन्द्राज वर्तमान खसरा नं0 212 व 213 के सहखातेदार होशियार सिंह पुत्र श्योबक्ष सिंह जो पूर्ववर्ती सह खातेदार ने खसरा नम्बर 213 में निहीत अपने खातेदारी हक हिस्से में से प्रतिवादी मांगीलाल के पक्ष में अन्तरित

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रकबा 0.03 है0 कृषि भूमि के विशिष्ट पडौस वर्णित करके किये गये पंजिकृत बैचाननामा दिनांक 12.12.99 में प्रतिवादी सं0 1 की साक्षी से बखुबी प्रमाणित है।

भू राजस्व अधिकार अभिलेख ग्राम सरगोठ की जमाबंदी सम्वत 2069–2072 में वर्णित खसरा नम्बर 213 रकबा 4.27 है0 के रेकर्ड में अंकर अनुसार वादी 1.785 है0 बारानी 2 एवं प्रतिवादी सं0 1 से 4 नरपतसिंह, बहादूरसिंह, कमलकंवर, संतोष कंवर के संयुक्त खातेदारी अधिकारों में 1.815 है0 बारानी 2 तथा प्रतिवादी मांगीलाल के हिस्से में खसरा नम्बर 213 में से रकबा 0.03 है0 बारानी 2 तथा प्रतिवादी ईश्वरराम के खातेदारी अधिकार में रकबा 0.64 है0 की प्रविष्टि का अंकन है।

होशियार सिंह के पुत्र बजरंग ने दिनांक 05.07.2005 को खसरा नम्बर 212 व 213 में निहीत अपने सम्पूर्ण खातेदारी अधिकार वादी को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये अन्तरित कर नामान्तकरण दर्ज करवा दिया वादी को विक्रित खसरा नम्बर 212 का उत्तरी हिस्सा पर काबिज करवा दिया, खसरा नम्बर 213 में उत्तरी तरफ मांगीलाल द्वारा खरीदी हुई 0.03 है0 भू पटटी एवं दक्षिण में 1.815 है0 पर प्रतिवादी सं0 1 से 4 एवं पश्चिम में कटाणी मार्ग के मध्य वादी को काबिज करवा दिया तदनुसार वादी उक्त हिस्से की दक्षिणी सीव पर पक्का निर्माण कमरा आदि मौजुद है इस प्रकार खसरा नम्बर 212 में दक्षिण हिस्से एवं खसरा नम्बर 213 के दक्षिणी तरफ काबिज होकर प्रतिवादी सं0 1 से 4 अपने 1.815 है0 पर मकानात बनाकर निवास करते चले आ रहे है।

मौके पर सह खातेदार अधिकारी वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 6 अपने अपने बंट में आये भूमि के हिस्से पर काबिज काश्त है पूरी भौतिक स्थिति स्पष्ट करता हुआ रंग भरा हुआ नजरी नक्शा वादपत्र में चारों दिशाओं के पडौस वर्णन करता हुआ रेंखांकित किया हुआ है।

वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 6 सह खातेदार अधिकारी है वादी अलग खाता विभाजन करवाकर उसी अनुसार नक्शा में तरमीम करवा कर अपने नाम से अलग नाम से अलग रकम मालकाना कायम करवाना चाहता है जो जरिये वाद खाता विभाजन डिक्री वास्त दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

वादविषयक आराजी के सभी सहखातेदार 1 से 6 की कृषि भूमि संयुक्त होने से रकबा को सुधारने, बैंक से ऋण आदि क्रेडिट कार्ड बनाने, सुधार विकास कार्य करवाने में वादी के समक्ष बहुत कठिनाईया आती है, इसलिये खाता विभाजन हेतु दावा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने रेकर्ड सह खातेदार से दिनांक [illegible] 2010 को प्रतिवादी सं0 1 से 6 को तहसील कार्यालय मे व्यक्तिग[illegible] [illegible]सिटी के समक्ष उपस्थित होकर खाता विभाजन एवं वादी के हिस्से [illegible] भूमि नाम करवाने की बात कही तो पहते से प्रतिवादी सं0 1 से 6 पहले तो सहमत हो गये ओर बंटवारे की दस्तावेज तैयार करने की ताकिद की तब वादी ने उक्त खसरान के भू विभाजन हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लिये लगान हेतु स्टाम्प भी खरीद लिया वादी ताा प्रवितादीसं0 5 व 6 ने धारा 53 (3) काश्तकारी अधिनियम का प्रपत्र भी तैयार कर लिया लेकिन प्रतिवादी सं0 1 से 4 ने एक साथ तहसील कार्यालय हाजिर होने मे आनाकानी व टालमटोल करने

उपखण्ड अधिकारी

लगे व कहा कि वादी को यदि खसरा न0 212 व 213 में से अपना रकबा 1.79 है0 कृषिभूमि का खाता विभाजन हिस्सा की आवश्यकता है तो वह उचित अदालत में वाद प्रस्तुत करके अपना खाता अलग करवा ले प्रतिवादीगण की खाता विभाजन की यह इन्कारी ही वाद प्रस्तुत करने का कारण है।

वादीगण की इस्तदुआ निम्नवत है':–

खाता सं0 86 नया 107 के नवीन खसरा नं0 212 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 213 रकबा 4.27 है0 कुल क्षेत्रफल 4.28 है0 सहित तफ्सील रूपये 31.35 कृषिभूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 6 के मध्य खाता विभाजन करवाने का हकदार है।

उक्त अनुतोष की अनुपालना मे वादी के खातेदारी व आधिपत्य के खसरा नं0 212 रकबा 0.005 है0 हिस्सा एवं खसरा नं0 213 में से रकबा 1.785 है0 हिस्सा एवं खसरा नं0 213 में से रकबा 1.785 है0 जिसके उत्तर में मांगीलाल, दक्षिण में प्रतिवादी सं0 1 से 4 की खसरा नम्बर 212 में 0.005 है0 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 213 का शेष दक्षिणी हिस्सा की 1.815 है0 भूमि, पूर्व में खसरा नं0 223 अन्य पडौसी खातेदार मुताबिक संलग्न नजरी नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड मे वादी के हक हिस्सा में पृथक खाते के रूप में अधिकार अभिलेख में वगैरह पृथक कर संलग्न नजरी नक्शे अनुसार अन्य सहखातेदारों के मध्य जमाबंदी व राजस्व नक्शे में दर्ज करने बाबत डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकर्ड में विभाजन अमलदरामदगी के आदेश व डिक्री सादिर फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से वकील श्री हनुवंत सिह जी ने वकालतनामा पेश किया, शामिल मिसल है।। दिनांक 25.05.2016 को प्रतिवादी सं0 4 से 8 गैर हाजीर होने पर इकतरफा की हुई है। दिनांक 06.10.16 को प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से जबाब प्रस्तुत किया, शामिल मिसल है। दिनांक 27.12.16 को तनकी कायम, शामिल मिसल है। दिनांक 03.01.17 को वादीया व गवाह जगदीश प्रसाद का शपथ पत्र प्रस्तुत, शामिल मिसल है। दिनांक 24.01.17 को प्रतिवादी साक्ष्य में नरपतसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत, शामिल मिसल है। दिनांक 28.11.17 को गवाह ईश्वरराम से जिरह की गई, शामिल मिसल है। दिनांक 16.02.18 को प्रतिवादी गवाह पेश नहीं करने पर गवाह प्रतिवादी बंद की गई।

वकुलाय ने बहस सुनाई बाद बहस वादी का वाद पत्र संलग्न दस्तावेज, प्रतिवादी का जबाब, तनकी, प्रस्तुत गवाह के शपथ पत्र का अवलोकन एवं वकुलाय की बहस का मनन करने पर न्यायालय का मत है की वाद में तनकी कायम है जो निम्न प्रकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

1. आया ग्राम सरगोठ के खसरा नं0 212 रकबा 0.01 है0 गैरमुमकीन कुआ, खसरा नं0 213 रकबा 4.27 है0 कुल रकबा 4.28 है0 में से खसरा नं0 212 में 0.005 है0, खसरा नं0 213 में से 1.785 है0 उत्तर में मांगीलाल, दक्षिण में प्रतिवादी सं0 1 से 4 की खसरा नं0 212 की भूमि एवं 213 का शेष दक्षिणी हिस्सा की 1.815 है0 भूमि पूर्व में खसरा नं0 223 अन्य पडोसी खातेदार मुताबिक नजरी नक्शे अनुसार वादी खातेदारी पाने के मुस्तहक है। जिम्मे वादीया

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

2. प्रश्नगत खसरान में वादीया अपना खाता विभाजन नजरी नक्शा मुताबिक कराने की हकदार है। जिम्मे वादीया
3. प्रश्नगत भूमि वादीया व प्रतिवादी सं0 1 से 4 के मध्य भू विभाजन बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व ट्रेस नक्शे में दर्शित कटाणी रास्ते से चिकती हुई भूमि में व उसके पश्चात पूर्व दिशा में स्थित शेष कृषि भूमि को अभय पक्षकारान में बहिस्सा बराबर बराबर सीमांकन द्वारा बांटकर प्रत्येक का अलग अलग खाता अमलदरामद किया जावे। जिम्मे प्रतिवादी

तनकी सं0 1 के संबंध में वादी का वाद पत्र संलग्न जबाब दावा, गवाह शपथ पत्र, बैचान दिनांक 12.10.99 जो होसियार सिंह के द्वारा मांगीलाल पुत्र मोतीलाल के पक्ष में बैचान किया है नजरी नक्शा संलग्न है। बैचान मे वादी नरपत सिंह के हस्ताक्षर है। होसियार सिंह पुत्र बजरंग सिंह ने दिनांक 05.07.95 को वादीया को बेचान किया जिसमे साक्ष्य सं0 2 पर प्रतिवादी सं0 1 के हस्ताक्षर है।, बंटवारा फार्म इएक्स 3, नक्शा ट्रेस ईएक्स 4 जिस पर वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 6 के हस्ताक्षर है आदि का अवलोकन एवं वकुलाय द्वारा की गई बहस का मनन करने पर तनकी सं0 1 वादीया के पक्ष में साबित है। तनकी सं0 2 वाद में संलग्न इएक्स 3 व इएक्स 4 का अवलोकन से वादी के पक्ष में साबित होती है। तनकी नं0 3 वादीया ने 1995 में जरीये बेचान कब्जा प्राप्त कर अपनी जमीन पर काबिज है जिसकी ताहिद इएक्स 3 व इएक्स 4 से बखुबी साबित है इसलिए प्रतिवादीगण 1 ता 4 तनकी साबित करने मे असफल रहे है।

वादी का वाद संलग्न दस्तावेजात एवं वकुलाय की बहस का मनन करने पर वादीया ने वाद अन्तर्गत धारा 53,188,207 व 209 आर टी एक्ट 1955 के तहत पेश किया है। वादीया अपने वाद में अपनी खातेदारी अलग कराने की धारा 53 के तहत कानूनन अधिकारी होने से उक्त विवेचन से न्यायालय का मत है की प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित प्रतित होने से वादीया का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

ग्राम सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नं0 212 रकबा 0.005 है0 एवं खसरा नं0 213 रकबा 4.27 है0 में से 1.785 है0 में नजरी नक्शानुसार खातेदार घोषित कर तहसीलदार कुचामनसिटी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है की रूबरू पक्षकारान के मौका रिपोर्ट बटवारा [illegible]नाकर पेश करे। मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को [illegible]

निर्णय आज दिनॉक 30/[illegible]/2018 को इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) कुचामन सिटी

क्रमांक/भू.अ. 1314 दिनांक 5-6-18

28/2/19

प्रेषिति:- श्रीमान, उपखण्ड अधिकारी महो०
कुचामनसिटी

विषय:- राजस्व प्रकरण सं० 30/2016 विजयलक्ष्मी बनाम नरपतसिंह वगै० में बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रेषित करने बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान के पत्रांक/राजस्व/2018/196 दि० 18-5-18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि न्यायालय के राजस्व प्रकरण सं. 30/2016 विजयलक्ष्मी बनाम नरपतसिंह वगै० में मुताबिक पारित डिक्री बंटवारा स्कीम भू० अ० निरीक्षक मण्डल द्वारा तैयार करवाई गई है।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

संलग्न:- मूल बंटवारा स्कीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका बंटवारा स्कीम

आज दि. 26.5.18 को श्रीमान तहसीलदार सा. कुचामनसिटी के आदेश क्र./भू-अ./201 दि. 22-5-18 की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय कुचामनसिटी के राजस्व प्र. सं. 30/2016 विजयलक्ष्मी बनाम नरपतसिंह वगैरह निर्णय प्राथमिक डिक्री दि. 30-4-18 अनुसार ग्राम सरगोठ में ख.नं. 212, 213 कुल रकबा 4-28 हे. के मौके पर रूबरू पक्षकारान पहुंचे। निर्णय अनुसार ख.नं. 212 रकबा 0.005 हे. व ख.नं. 213 में से 1.785 हे. का वादी को खातेदार घोषित करने पर निम्न प्रकार निम्ननजरी नक्शे अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार की गई।

L.R.
5-6-18

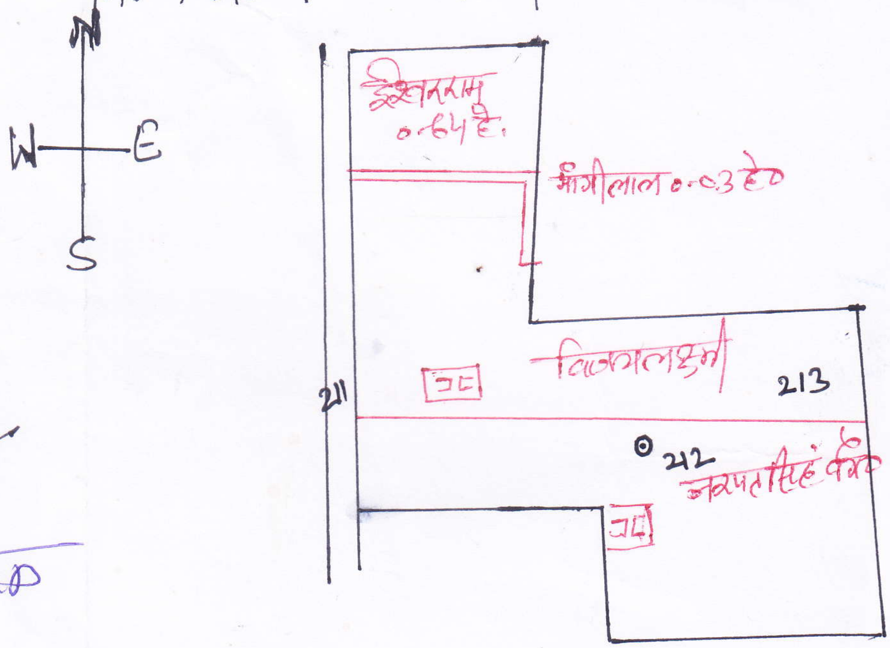

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म
1.	विजयलक्ष्मी पत्नी रामगोपाल जाति ब्राह्मण सा. कुचामनसिटी खातेदार	213	1-785	बा-2
2.	ईश्वरराम पुत्र भंवरलाल जाति [illegible] सा. सरगोठ खातेदार	213	0-64	बा-2
3.	मांगीलाल पुत्र मोतीराम सा. सरगोठ खातेदार	213	0-03	बा-2
4.	नरपतसिंह, बहादुरसिंह पिता हरनाथसिंह, संतोषकंवर पत्नी कमलकंवर पत्नी हरनाथसिंह बाबूसिंह जाति राजपूत सा. सरगोठ खातेदार	213	1.815	बा-2
5.	विजयलक्ष्मी पत्नी रामगोपाल जाति ब्राह्मण सा. कुचामनसिटी 1/2, नरपतसिंह, बहादुरसिंह पि. हरनाथसिंह कमलकंवर पत्नी हरनाथसिंह [illegible]	212	0-01	कुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त नजरी नक्शेनुसार मौकानुसार बैरवारा स्कीम तैयार की जाकर मौके पर पढ़कर सुनाई गई। सुन-समझ सही मानकर उपस्थित ने हस्ताक्षर किये।

ह. [illegible] 26-5-18
पटवारी मैंडावरा

[illegible]

मानाराम

[illegible] 26-5-18
ग्रा.प.स.

[illegible]

हीरालाल [illegible]

[illegible]

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 30/2016 (2016/00046)

वादीया

1. विजय लक्ष्मी पत्नि रामगोपाल जाति ब्राहम्ण उम्र 55 निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर,राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नरपतसिंह पुत्र हरनाथसिंह
2. बहादूरसिंह पुत्र हरनाथसिंह
3. कमल कंवर पत्नि हरनाथसिंह
4. संतोष कंवर पत्नि बाबूसिंह जाति राजपूत नि. सरगोठ तहसील कुचामनसिटी
5. मांगीलाल पुत्र मोतीलाल ब्रहाम्ण निवासी सरगोठ
6. ईश्वरराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी सरगोठ
7. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
8. पटवारी पटवार मण्डल सरगोठ जिला नागौर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा – वास्ते घोषणा करने, भू–विभाजन, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अ. धा.53, 188 207 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता वादीया की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 01-04-2019

तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त होने पर पत्रावली प्रस्तुत हुई । वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित । उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ ने निवेदन किया कि प्राथमिक रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त हो गई है । निवेदन है कि माफिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार अन्तिम डिक्री फरमाई जावें । उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ ने अन्तिम डिक्री पर बहस सुनाई । वादी की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्राथमिक डिक्री दिनॉक 30.04.2018 एवं तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम पत्रांक/भू.अ./1314 दिनॉक 05.06..2018 का अवलोकन एवं उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस का मनन करने पर न्यायालय का मत है कि प्राथमिक डिक्री [illegible]05.2018 के अनुसार ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 212, 213 [illegible] रकबा 4.28 हैक्टर में बंटवारा स्कीम तैयार की गई जिसके अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

1. विजय लक्ष्मी पत्नि रामगोपाल जाति ब्राहम्ण सा. कुचामासिटी खातेदार खसरा नम्बर 213 रकबा 1.785 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय

2. ईश्वरराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट सा. सरगोठ खतेदार खसरा नम्बर 213 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

3. मांगीलाल पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहम्ण सरगोठ खातेदार खसरा नम्बर 213 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय

4. नरपतसिंह, बहादुरसिंह पि. हरनाथसिंह कमल कंवर पत्नि हरनाथसिंह संतोषकवर पत्नि बाबूसिंह जाति राजपूत सा. सरगोठ खातेदार खसरा नम्बर 213 रकबा 1.815 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय

5. विजय लक्ष्मी पत्नि रामगोपाल जाति ब्राहम्ण सा. कुचामनसिटी 1/2, नरपतसिंह बहादुरसिंह पि. हरनाथसिंह कमल कंवर पत्नि हरनाथसिंह संतोषकंवर पत्नि बाबूसिंह जाति राजपूत सा. सरगोठ 1/2 खातेदार खसरा नम्बर 212 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म कुँआ

उपरोक्तानुसार बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत की। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। उक्त मौका फर्द पटवारी हल्का सरगोठ ,आई.एल.आर.मण्डावरा द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः उक्त अनुसार अन्तिम डिक्री आदेश जारी किया जाना उचित होने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री आदेश जारी किया जाता है।

आदेश

ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 212, 213 कुल रकबा 4.28 हैक्टर में श्रीमति विजय लक्ष्मी पत्नि रामगोपाल जाति ब्राहम्ण सा. कुचामासिटी खसरा नम्बर 213 रकबा 1.785 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, ईश्वरराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट सा. सरगोठ खसरा नम्बर 213 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, मांगीलाल पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहम्ण सरगोठ खसरा नम्बर 213 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, नरपतसिंह, बहादुरसिंह पि. हरनाथसिंह कमल कंवर पत्नि हरनाथसिंह संतोषकवर पत्नि बाबूसिंह जाति राजपूत सा. सरगोठ खसरा नम्बर 213 रकबा 1.815 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, विजय लक्ष्मी पत्नि रामगोपाल जाति ब्राहम्ण सा. कुचामनसिटी 1/2, नरपतसिंह बहादुरसिंह पि. हरनाथसिंह कमल कंवर पत्नि हरनाथसिंह संतोषकंवर पत्नि बाबूसिंह जाति राजपूत सा. सरगोठ 1/2 खसरा नम्बर 212 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म कुँआ मे फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 26.05.2018 अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । फर्द मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 25.2.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 30/2016 (2016/00046)

वादीया

1. विजय लक्ष्मी पत्नि रामगोपाल जाति ब्राहम्ण उम्र 55 निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर,राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नरपतसिंह पुत्र हरनाथसिंह
2. बहादूरसिंह पुत्र हरनाथसिंह
3. कमल कंवर पत्नि हरनाथसिंह
4. संतोष कंवर पत्नि बाबूसिंह जाति राजपूत नि. सरगोठ तहसील कुचामनसिटी
5. मांगीलाल पुत्र मोतीलाल ब्रहाम्ण निवासी सरगोठ
6. ईश्वरराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी सरगोठ
7. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
8. पटवारी पटवार मण्डल सरगोठ जिला नागौर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा – वास्ते घोषणा करने, भू–विभाजन, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अ. धा.53, 188 207 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता वादी की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री हनुवन्तसिंह अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 212, 213 कुल रकबा 4.28 हैक्टर में श्रीमति विजय लक्ष्मी पत्नि रामगोपाल जाति ब्राहम्ण सा. कुचामासिटी खसरा नम्बर 213 रकबा 1.785 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, ईश्वरराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट सा. सरगोठ खसरा नम्बर 213 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, मांगीलाल पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहम्ण सरगोठ खसरा नम्बर 213 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, नरपतसिंह, बहादुरसिंह पि. हरनाथसिंह कमल कंवर पत्नि हरनाथसिंह संतोषकवर पत्नि बाबूसिंह जाति राजपूत सा. सरगोठ खसरा नम्बर 213 रकबा 1.815 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, विजय लक्ष्मी पत्नि रामगोपाल जाति ब्राहम्ण सा. कुचामनसिटी 1/2, नरपतसिंह बहादुरसिंह पि. हरनाथसिंह कमल कंवर पत्नि हरनाथसिंह संतोषकंवर पत्नि बाबूसिंह जाति राजपूत सा. सरगोठ 1/2 खसरा नम्बर 212 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म कुँआ मे फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 26.05.2018 अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । फर्द मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 01......माह 04......... सन् 2019... को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत................ उपखण्ड अधिकारी

ओहदा कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।